



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा / डी०आर० ५१०५५०/५२६२
दिनांक : 09.10.2025

विज्ञप्ति

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.09.2025, मद संख्या-05 के बिन्दु संख्या 02 में लिये गये निर्णय जो निम्नवत है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

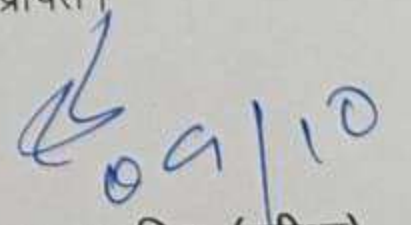
.....परीक्षा नियंत्रक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कतिपय महाविद्यालय परीक्षा (समस्त संचालित पाठ्यक्रम) के उपरान्त विभिन्न कारणों से छात्रों की मूल अंकतालिकाएँ निर्गत न करने हेतु विश्वविद्यालय को अनुरोध करते हैं, इस सम्बन्ध में निदेश प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। परीक्षा समिति द्वारा उल्लेख किया गया कि यदि किसी कारणवश छात्र परीक्षा हेतु अर्ह नहीं है तो महाविद्यालय का यह अधिकार है कि उनके परीक्षा फार्म सत्यापित न किये जायें। छात्र को परीक्षा में सम्मिलित कराने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को यह अनुरोध करना कि छात्र को मूल अंकतालिकाये प्रदान न की जायें, न्यायोचित नहीं है। इसलिये ऐसे छात्र जो अन्यथा मूल अंकतालिका प्राप्त करने हेतु अनर्ह नहीं हैं, की अंकतालिकाये महाविद्यालय के अनुरोध पर रोकी न जायें।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में महाविद्यालयों से अनुरोध है कि ऐसे छात्र जो किसी कारण वश विश्वविद्यालय परीक्षाओं हेतु अर्ह नहीं हैं के परीक्षा फार्म सत्यापित न किये जायें। परीक्षा के उपरान्त छात्रों की मूल अंकतालिका निरुद्ध करने सम्बन्धी कोई भी पत्राचार विश्वविद्यालय से न करें।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. संकायाध्यक्ष शिक्षा, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत सहायक, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
6. व्यक्तिगत सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
7. उप कुलसचिव/प्रभारी (गोपनीय)।
8. प्रभारी-अतिगोपनीय विभाग/कमेटी सैल/बी०एड० सैल/व्यवसायिक पाठ्यक्रम।
9. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत समस्त एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. विश्वविद्यालय पूछताछ केन्द्र।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
12. गार्डफाइल।


उप कुलसचिव (परीक्षा)